भाग-Ш

हरियाणा सरकार

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 दिसम्बर, 2009

संख्या का०आ० ९९/के०अ० २२/२००५/धा० २७/२००९.— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 22), की धारा 27 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् ,—

1. (1) ये नियम हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009, कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

- (2) ये प्रथम जनवरी, 2010 से लागू होंगे।
- 2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाए।

- (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 22);
- (ख) "आयोग" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 15 के अधीन गठितः हरियाणां सूचना आयोगः
- (ग) "आदर्श प्ररुप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न आर्दश प्ररुप;
- (घ) "धारा" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा।
- इन नियमों में प्रयुक्त, किन्तु अपरिभाषित, शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिये गये हैं।
- 3. (1) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, सूचना प्राप्त करने इन नियमों के नियम 5 के उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा उसकी अनुपस्थिति में राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को अधिमानत: आदर्श प्ररुप 'क' में आवेदन करेगा।

के लिए आवेदन धारा 2(ड), 6 तथा

- उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, आवेदक को उसके प्रतीकस्वरूप की रसीद देगा।
- 4. (1) फीस राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास या तो उचित रसीद के साथ नकदी फीस जमा करवाना। में बैंक ड्राफ्ट द्वारा, भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा या खजाना चालान द्वारा निम्नलिखित लेखा शीर्ष धारा 6. में जमा करवाई जाएगी,—

मुख्य शीर्ष

---0070---अन्य प्रशासनिक सेवाएं

उप मुख्य शीर्ष —60—अन्य सेवाएं
लघु शीर्ष —800—अन्य प्राप्तियां
उप शीर्ष —86—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन फीस
विस्तृत शीर्ष —"0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं—60—अन्य सेवाएं—800—
अन्य प्राप्तियां—86—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
के अधीन फीस"।

(2) फीस की राशि उप नियम (1) में यथा निर्दिष्ट खाते में जमा करवाई जाएगी:

परन्तु राज्य के बोर्ड, निगम तथा अन्य स्वायत निकाय अपेक्षित फीस की राशि उनके द्वारा अनुरक्षित उनके अपने खाते में जमा करवा सकते हैं।

- (3) नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदन की जांच करेगा तथा निर्धारित करेगा कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली कितनी फीस अपेक्षित है।
- (4) उप-नियम (3) के अधीन निर्धारित फीस, की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना देने को सुनिश्चित करने के लिए आदर्श प्ररुप 'ख' में, राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को शीघ्रातिशीघ्र सूचित की जाएगी।
- (5) यदि आवेदक उप-नियम (4) के अधीन उसको दी गई सूचना के जारी होने के बाद पन्द्रह दिन की अविध के भीतर अपेक्षित फीस जमा करवाने में असफल रहता है, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि आवेदक चाही गई सूचना प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है और उसका आवेदन फाइल कर दिया गया समझा जाएगा।

फीस की प्रमात्रा। धारा 6 तथा 7.

- 5. (1) धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन 50/- रुपये की फीस के साथ होगा।
- (2) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात् :—
 - (क) ए-4 या ए-3 आकार के कागज पर बनाई गई या प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2/- रुपये; तथा
 - (ख) यदि सूचना खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न बड़े आकार के कागज पर उपलब्ध करवाई जाती है, तो वास्तविक लागत प्रभारित की जाएगी।
- (3) धारा 7 की उप-धारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात् :—
 - (क) फ्लोपी में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए 50/- रुपये;
 - (ख) डिस्किट में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए 100/- रुपये; तथा

- (ग) यदि चाही गई सूचना ऐसे स्वरूप की है, जो कि मुद्रित दस्तावेज में है, जिसकी कीमत नियत की गई है, तब वह सूचना उस मुद्रित दस्तावेज के लिए नियत कीमत प्रभारित करने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। तथापि, यदि ऐसे मुद्रित दस्तावेज का केवल उद्धहरण या पृष्ठ मांगा गया है, तब प्रति पृष्ठ 2/- रुपये की फीस प्रभारित की जाएगी।
- (4) अभिलेख के निरीक्षण के लिए कोई भी फीस प्रभारित नहीं की जाएगी, यदि ऐसा निरीक्षण केवल एक घण्टे के लिए किया गया है। तथापि, यदि निरीक्षण एक घण्टे से अधिक की अविध के लिए किया गया है तब प्रथम घण्टे से अधिक प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए दस रुपये की फीस प्रभारित की जाएगी। उपरोक्त पन्द्रह मिनट की अविध का प्रत्येक अंश पन्द्रह मिनट की पूर्ण अविध के रूप में माना जाएगा तथा यह पन्द्रह मिनट की संपूर्ण अविध के रूप में प्रभारित किया जाएगा।
 - 6. (1) अपील के ज्ञापन में निम्नलिखित सूचना होगी, अर्थात् :---

अपील दायर करने के लिए प्रक्रिया।

धारा 19(1) तथा (3).

- (क) सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल नम्बर/ई-मेल पता, यदि कोई हो, के ब्योरों सहित अपीलार्थी का नाम तथा पता;
- (ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसी भी रिथति हो, का कार्यालय पदनाम तथा पता;
- (ग) अधिकारी जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है का कार्यालय पदनाम तथा पता;
- (घ) संख्या, यदि कोई हो, सहित आदेश के विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है;
- (ङ) अपील करने के लिए संक्षिप्त तथ्य;
- (च) प्रार्थना या चाही गई राहत;
- (छ) प्रार्थना या राहत के लिए आधार;
- (ज) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन; तथा
- (झ) कोई अन्य सूचना जो आयोग अपील के निर्णय के लिए आवश्यक समझे।
- (2) अपीलार्थी कार्यालय प्रयोजन के लिए अपील के ज्ञापन की तीन प्रतियां प्रस्तुत करेगा।
- (3) आयोग को की गई प्रत्येक अपील निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होगी, अर्थात्:—
 - (क) आदेश या दस्तावेज जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतियां;

- (ख) अपीलार्थी द्वारा निर्भर किए गए तथा अपील में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां:
- (ग) अपील में निर्दिष्ट दस्तावेजों की सूची:

परन्तु यदि पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो अपील अस्वीकृत नहीं की जाएगी किन्तु अपीलार्थी को उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए कहा जाएगा।

अपील का निर्णय करने के लिए प्रक्रिया। अपील धारा 19(10).

- 7. अपील का निर्णय करने से पूर्व आयोग,—
 - (क) सम्बद्ध व्यक्तियों को नोटिस तामील करेगा;
 - (ख) अपील के समर्थन में कोई साक्ष्य लेगा, जो सम्बद्ध व्यक्तियों से मीखिक या लिखित में लिया जा सकता है;
 - (ग) सम्बद्ध व्यक्तियों से शपथ पर या शपथ-पत्र पर बयान लेगा;
 - (घ) दस्तावेजों या किन्हीं अभिलेखों या उनकी प्रतियों की जांच करेगा;
 - (ङ) अपील के तथ्यों की प्राधिकृत कार्यालय के माध्यम से जांच-पड़ताल करवायेगा या विस्तार में तथ्यों की अपेक्षा करेगा, यदि वह ऐसा समुचित समझे तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया था, जैसी भी स्थिति हो, की सुनवाई करेगा; तथा
 - (च) राज्य लोक सूचना अधिकारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी, जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया था या किसी अन्य व्यक्ति जिससे साक्ष्य लेना आवश्यक समझा जाए, से शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करेगा।

नोटिस की तामील का ढंग। धारा 19(10).

- 8. आयोग सम्बद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित ढंगों में से किसी एक में नोटिस तामील कर सकता है, अर्थात् :---
 - (क) आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यप से व्यक्तिगत रूप से (दस्ती);
 - (ख) रजिस्टर्ड डाक, रपीड पोस्ट, पोस्टल प्रमाण-पत्र, के अधीन, कोरियर या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा:
 - (ग) इलैक्ट्रॉनिक मेल द्वारा, यदि इ-मेल पता उपर ह्य करवाया गया है; या
 - (घ) समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा।

अपीलार्थी। शिकायतकर्ताकी उपस्थिति। घारा 19. 9. अपीलार्थी या शिकायतकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, को प्रत्येक मामले में सुनवाई की तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन ठीक पूर्व सूचित किया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता/अपीलार्थी सुनवाई की तिथि को उपस्थित होने में असफल रहता है तो आयोग मामले का गुणागुण आधार पर निर्णय करेगा:

परन्तु जहां आयोग की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण शिकायतकर्ता/अपीलार्थी को आयोग की सुनवाई में उपस्थित होने से रोका गया है तब वह

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 21, 2009 (AGHN. 30, 1931 SAKA)

शिकायतकर्ता/अपीलार्थी को अंतिम निर्णय देने से पूर्व सुनवाई के लिए दूसरा अवसर प्रदान कर सकता है।

10. (1) आयोग लिखित में आदेश करेगा तथा सम्बद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में उसे आस् धार

आयोग द्वारा आदेश। धारा 19(10).

- (2) सम्बद्ध पक्षकार आयोग से आदेश की प्रति प्राप्त कर सकता है।
- 11. हरियाणा सूचना अधिकार नियम, 2005, इसके द्वारा, निरसित किए जाते है :

निरसन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु इस प्रकार निरिसत नियमों के अधील किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्सम उपबंधों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

आदर्श प्ररुप 'क'

[देखिए नियम 3(1)]

सेवा में

राज्य लोक सूचना अधिकारी/ राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

(पते सहित कायांलय का नाम)

- (1) आवेदक का पूरा नाम
- (2) पता
- (3) अपेक्षित सूचना के विवरण—
 - (i) सूचना की विषय-वस्तु*
 - (ii) अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित है **
 - (iii) अपेक्षित सूचना का वर्णन ***
 - (iv) क्या सूचना डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में अपेक्षित है (वास्तविक डाक प्रभार अतिरिक्त फीस में शामिल होंगे)
 - (v) यदि डाक द्वारा (सामान्य, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट)

स्थान:

तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर

(विभाग / कार्यालय का नाम)

- निर्दिष्ट किये जाने वाले विषय का विस्तृत प्रवर्ग (जैसे कि अनुदान/सरकारी भूमि/सेवा मामले/अनुज्ञप्तियाँ इत्यादि)।
- ** सम्बद्ध अवधि जिसके लिए सूचना निर्दिष्ट की जानी अपेक्षित है।
- *** सूचना के विशिष्ट विवरण निर्दिष्ट किये जाने अपेक्षित हैं।

	385	- (١.
u	d	त	1

आपका आवदन दिनाक	डायरा संख्या
दिनांक द्वारा प्राप्त हुआ।	
	वना अधिकारी/राज्य सहायक चना अधिकारी के हस्ताक्षर

आदर्श प्ररुप 'ख'

[देखिए नियम, 4(4)]

प्रेषक

राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम।

सेवा में

आवेदक का नाम

आवेदक का पता।

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए निम्न हस्ताक्षरित को सम्बोधित किए गए आपके आवेदन दिनांक के संदर्भ में!

- 2. यह सूचना भेजने के लिए अतिरिक्त फीस रुपये है।
- 3. आपको हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 के नियम 4 के उप-नियम (1) में यथावर्णित किसी एक ढंग के माध्यम से अर्थात् या तो उचित रसीद के साथ नकदी में, बैंक ड्राफ्ट द्वारा, भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा या खजाना चालान द्वारा भुगतान करने का अनुरोध किया जाता है, तथा इस कार्यालय को उसके सबूत की एक प्रति भेजने के लिए अनुरोध किया जाता है ताकि आपको अपेक्षित सूचना दी जा सके।

राज्य लोक सूचना अधिकारी

उर्वशी गुलाटी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।